





## दखल

# जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव



अनेक अनुसंधानों से अब यह सिद्ध हो चुका है कि इस समय अनिर्धारित हो रहे मानसून के पीछे जलवायु परिवर्तन का योगदान हो सकता है। कुछ ही घंटों में पूरे महीने की सीमा से अधिक बारिश का होना, शहरों में बाढ़ की स्थिति, शहरों में भूकम्प के झटके और सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के बार-बार घटित होने के पीछे भी जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण हो सकता है। एक अनुसंधान के अनुसार, अगर वातावरण में चार डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाए, तो भारत के तटीय किनारों के आसपास रह रहे लगभग साढ़े पांच करोड़ लोगों के घर समुद्र में समा जाएंगे। साथ ही, चीन के शंघाई, शांघाई, भारत के कोलकाता, मुंबई, विपतनाम के हवाई और बांग्लादेश के खुलना शहरों की इतनी जमीन समुद्र में समा जाएगी कि इन शहरों की आधी आबादी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार, पिछले बीस वर्षों के दौरान जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण भारत को 7,950 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है।

जलवायु संबंधी आपदाओं के चलते 1998-2017 के बीच पूरे विश्व में दो लाख 90 हजार 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका, चीन, जापान, भारत जैसे देशों को हुआ है। इस अवधि में आपदाओं के कारण 13 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि प्रतिवर्ष विश्व में 1.20 करोड़ हेक्टेयर कृषि उपजाऊ भूमि गैर-उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। दुनिया में 400 करोड़ हेक्टेयर जमीन क्षति हो चुकी है। एशिया एवं अफ्रीका की लगभग 40 प्रतिशत आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है, जहाँ मरुस्थलीकरण का खतरा लगातार बना हुआ है। भारत की जमीन का एक तिहाई हिस्सा, यानी 9.7 करोड़ से दस करोड़ हेक्टेयर के बीच जमीन क्षति है। जमीन के क्षति होने से जमीन की उत्पादकता कम होने लगती है। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों, जिनके पास बहुत कम जमीन है, की गेजी-गेटी पर संकट आ जाता है। इस तरह लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। जमीन के क्षरण की वजह से देश को 46 सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है।

एकल उपयोग वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण भी जमीन बंजर हो जाती है। यह कचरे के साथ मिलकर मीथेन गैस बनाता है। यही पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तीस गुना अधिक खतरनाक है। जलवायु परिवर्तन के लिए यही गैस खासतौर से जिम्मेदार मानी जाती है। हर साल प्रत्येक भारतीय

औसतन ग्यारह किलो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। हर साल देश में 56 लाख टन कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा 25 हजार टन निकलता है। जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए भारत तेजी से सौर और वायु ऊर्जा की क्षमता विकसित कर रहा है। ई-मोबिलिटी के माध्यम से वाहन उद्योग को गैस मुक्त बनाया जा रहा है। बायो ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल में ईथेनॉल को मिलाया जा रहा है। भारत द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 80 से अधिक देश सदस्य बन चुके हैं। वैश्विक तापमान के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने के उद्देश्य से भारत ने पहले तय किया था कि देश में 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत ने अपने लिए नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना के लिए नया लक्ष्य, अर्थात् 450 गीगावॉट निर्धारित किया है।

देश में बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य से भारत ने 2030 तक जमीन को उपजाऊ बनाने के अपने लक्ष्य को 2.10 करोड़ से बढ़ा कर 2.60 करोड़ हेक्टेयर कर दिया है। साथ ही, भारत ने मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए 2015 से 2017 के बीच देश में पेड़ और जंगल के दायरे में आठ लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी की है। शहरों का विकास व्यवस्थित रूप से करने के उद्देश्य से देश में अब मकानों का लंबवत निर्माण किए जाने पर बल दिया जा रहा है, ताकि हरियाली के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं। शहरों में यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न मार्गों के बाई-पास बनाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय द्रुत-गति के रेल यातायात की व्यवस्था की जा रही है, ताकि महानगरों पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके। देश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाया जा चुका है। 2 अक्टूबर, 2019 से देश में प्लास्टिक छोड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है, ताकि 2022 तक देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाए।

जल शक्ति अभियान की शुरुआत एक जुलाई, 2019 को कर दी गई। यह अभियान देश में स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जन भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बारिश के पानी का संग्रहण, जल संरक्षण एवं पानी का प्रबंधन आदि कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। देश में हर मकान के लिए वर्ण जल का संग्रहण आवश्यक कर देना चाहिए, ताकि पृथ्वी के जल को पुनर्चक्रित किया जा सके। हर घर में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आवश्यक कर देना चाहिए, ताकि

इन घरों को आवश्यक रूप से सौर ऊर्जा उत्पादन करना पड़े। देश में खाली पड़ी पूरी जमीन को हरित क्षेत्र में बदल दिया जाना चाहिए। देश में पच्चीस प्रतिशत प्रदूषण यातायात वाहनों से फैलता है, इसलिए वाहनों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। फव्वारा सिंचाई और बूंद सिंचाई पद्धति को देश में बढ़े स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। खोई हुई उर्वर शक्ति को हासिल करने के लिए पेड़ों और बड़ी झाड़ियों को खेतों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी फसलें, जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे गन्ना, अंगूर आदि को देश के उन भागों में स्थानांतरित कर देना चाहिए जहाँ अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है।

देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने के प्रयास शुरू किए जाने चाहिए, जिससे देश के एक भाग में बाढ़ और दूसरे भाग में सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। भूजल के अतार्किक उपयोग पर भी बंद लगानी होगी, ताकि भूजल के तेजी से कम हो रहे भंडारण को बनाए रखा जा सके। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पानी की बचत और संरक्षण, आदि विषयों पर विशेष अध्ययन जोड़े जाने चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के लिए हमें कुछ आदतें अपने आप में विकसित करनी होंगी। जैसे, जब भी हम सब्जी और फलों का सामान आदि खरीदने जाएं तो कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। इससे खरीदे गए सामान को रखने के लिए प्लास्टिक के थैलियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम घर में कई छोटे-छोटे कार्यों पर ध्यान देकर पानी की भारी बचत कर सकते हैं। पर्यावरण को पुनर्चक्रित करके विकास एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य बिचवाया जा सकता है।

कचरा एवं प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करना, प्राकृतिक संसाधनों की दक्षता बढ़ाना, जल का संरक्षण, ऊर्जा का दक्षता से उपयोग, शहरों में हरियाली बढ़ाना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना, हरित एवं स्वच्छ परिवहन का विकास करना, ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन करना, आदि कार्य करके भी पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। यह ऐसे उपाय हैं जिन पर काम करके हम पर्यावरण संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगर इस दिशा में गंभीरता से काम किया जाए, तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।

एकल उपयोग वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण भी जमीन बंजर हो जाती है। यह कचरे के साथ मिल कर मीथेन गैस बनाता है। यही पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तीस गुना अधिक खतरनाक है। जलवायु परिवर्तन के लिए भी यही गैस खासतौर से जिम्मेदार मानी जाती है। वैसे पर्यावरण संतुलन के लिए और भी उपाय हैं जिन पर काम करना होगा।

## विचार

### अब किसानों का भरोसा जीते केंद्र

इसमें संदेह नहीं कि कड़ाके की ठंड से किसानों की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही जोश और जब्बा भी बढ़ रहा है। आंदोलनकारियों का डटे रहना इस बात का सबूत है कि कानूनों में कुछ तो ऐसा है जो किसानों को अपने हितों के खिलाफ लग रहा है।




आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच आठवें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद डेल्टा निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अगर आठ जनवरी को दोनों हाथ से ताली नहीं बजी तो डेल्टाक तय है। अगली वार्ता से पहले अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सरकार के साथ-साथ आंदोलनकारी किसान संगठनों की भी नजरें टिक गई हैं। सोमवार को सरकार से वार्ता के बाद सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई संभव है। आंदोलन के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि के बाद वार्ता शुरू हुई। भरोसे की बात करते हुए सरकार ने आठ बिंदुओं पर सहमति जताते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। पहला, एमएसपी की लिखित गारंटी। आंदोलनकारी किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी पर ही फिर कायम रहे। दूसरा, एपीएमसी सिस्टम, तीसरा बिजली, चौथा पराली, पांचवां मंडी में समान कर (निजी एवं सरकारी), छठा नए विकल्प के साथ मंडी सिस्टम की बहाली, सातवां कंटेनर फार्मिंग से जुड़े विवाद एसडीएम के साथ-साथ अदालतों में निपटारे का अधिकार, आठवां, कॉरपोरेट का डर व अंदेशा दूर करने का भरोसा। इनमें से अधिकांश पर दोनों पक्ष राजामंद दिखे। सरकार सहमति के इन बिंदुओं की लिखित गारंटी देने और संशोधन को तैयार है। एमएसपी और तीन कानूनों पर फिर कमेटी का प्रस्ताव आंदोलनकारी किसान संगठन कमेटी पर राजी नहीं हैं। नए कृषि कानूनों को वापस लेने मांग को लेकर धरने को 40 दिन हो चुके हैं। 54 किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार के हठधर्मी रवैये से नाराज होकर कुछ किसानों ने तो खुदकुशी जैसा कदम तक उठा लिया। इन घटनाओं से साफ है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़े। किसान संगठन अपने इस रुख पर कायम हैं कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार भी साफ कर चुकी है कि कृषि कानूनों को वापसी नहीं होगी। जाहिर है, जब दोनों पक्षों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है तो गतिरोध खत्म होने की बजाय और बढ़ेगा ही। यह गतिरोध एक ऐसे संकट को जन्म दे रहा है जो किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता।

सरकार किसानों को यह भरोसा देने में लगी है कि एमएसपी किसी भी सूत में खत्म नहीं किया जाएगा और इसके लिए वह लिखित रूप में भी देने को तैयार है। टकराव का यही बड़ा बिंदु है। अगर सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर रही तो फिर इसे कानूनी शक्ति देने में क्या मुश्किल है, यह समझ से परे है। इसी से किसानों के मन में यह आशंका घर कर गई है कि आखिर ऐसी कौन-सी कानूनी बाधा या मजबूरी है कि सरकार एमएसपी बनाए रखने के बारे लिख कर देने को तैयार है, पर उसे कानूनी रूप देने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों को संतुष्ट करे।

मानव इतिहास में यह पहला मौका नहीं है जब एक अदृश्य विषाणु ने पूरी दुनिया के नियम-कायदों को उलट-पलट कर रख दिया हो। इससे पहले भी करोड़ों जानें लील लेने वाले एक से बढ़ कर एक खौफनाक विषाणु और जीवाणु मानव जाति पर हमला बोल चुके हैं। लेकिन कोरोना विषाणु और उससे पैदा हुई महामारी को कई मामलों में सबसे ज्यादा खतरनाक मान सकते हैं। यह चिकित्सा विज्ञान का वह दौर है जिसमें चिकित्सा विज्ञानियों के पास प्रायः हर बीमारी का तोड़ है और इलाज के बेहद सटीक इंतजाम हैं। इसीलिए वादा किया जाता है कि आज का अत्याधुनिक चिकित्सा विज्ञान जटिल से जटिल विषाणुओं के आगे-पीछे की श्रंखलाओं को समझ सकता है और उनसे बचाव के तरीके खोज सकता है। लेकिन कोरोना विषाणु के बदलते रूपों व नए-नए विषाणुओं की पैदावार ने इन सारे इंतजामों को जैसे धता बता दी है और यह चुनौती पैदा कर दी है कि हमारे विज्ञान में अगर कोई क्षमता है तो वह उन्हें रोक कर दिखाए।

इस चुनौती को ब्रिटेन के ताजा मामले से समझा जा सकता है। ऐसे वक्त में, जब कोविड-19 महामारी पर काबू पाने की कोशिशों के तहत दुनिया भर में इसके टीकाकरण का काम शुरू होने को है, कोरोना विषाणु नए-नए रूपों में सामने आ रहा है। पता चला है कि इस बदले स्वरूप की जानकारी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के जिनोमिक सर्विलांस से मिली, जिसने 18 दिसंबर को नए रूप की गंभीरता पर ब्रिटिश सरकार को सूचित किया और सरकार ने खोज को उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले कर दिया। कोरोना विषाणु की यह एक 'स्प्लिन किस्म' है जिसने छुट्टियों पर निकले ब्रिटिशों को संक्रमित किया और वे इस विषाणु को अपने साथ कई जगहों पर ले गए। चूंकि कोरोना विषाणु की यह नई किस्म सत्र-भंडस ज्यादा घातक और तेजी से फैलने वाली पाई गई है, इसलिए इसका पता चलते ही दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी। हैरान करने वाली बात कोरोना विषाणु में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले तेजी से बदलाव हैं जो इसकी रोकथाम के लिए खोजी जा रही दवाओं, टीकों और इलाज पद्धतियों को सवालिया धरे में ला खड़ा करते हैं। चिंता सिर्फ यह थी नहीं है कि इस बदलाव के कारण दवाओं व टीकों के बेअसर होने की आशंका पैदा हो गई है, बल्कि कोरोना पर जीते हासिल कर चुके लोगों के खून में जो एंटीबॉडी बनी है, वह भी विषाणु के बदले स्वरूप के खिलाफ कम असरदार रह जाती है। कुछ और जानकारियां हैं जो परेशान करने वाली हैं। जैसे कोरोना ने जब से इंसानों को

# चुनौती बनते विषाणु



तिब्बती ग्लेशियर की बर्फ को करीब 50 मीटर गहराई तक खोदने के बाद वहां पाए गए 33 में से 28 ऐसे विषाणु समूहों की मौजूदगी मिली जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। ये विषाणु वैश्विक तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने के साथ फैल सकते हैं और पूरी दुनिया में हजारों साल पहले की महामारियों को वापस ला सकते हैं। ये विषाणु पृथ्वी से बाहर के हो सकते हैं और उल्का पिंडों के जरिए यहां पहुंचें होंगे। इसी तरह की एक घटना अलास्का के उडे इलाक-टुंड्रा से संबंधित है। वहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के जल दफनाए गए थे। विज्ञानियों ने इन शवों की जांच की तो पता चला है कि 1918 के भीषण स्पेनिश फ्लू के अवशेष थे। साइबेरिया की बर्फ में दफन शवों में बुबॉनिक प्लेग व चेचक के अवशेष मिले। बर्फनी सतहों में प्राचीन समय के विषाणुओं के दबे होने की भी आशंकाएं काफी ज्यादा हैं।

अपनी चपेट में लिया है, तब से इसमें हर महीने तकरीबन दो बदलाव हो रहे हैं। दावा है कि चीन के वुहान शहर में मिले विषाणु से यदि आज के कोरोना विषाणु का मिलान किया जाए, तो इसमें 25 तरह के बदलाव आ चुके हैं। बहुत मुश्किल है कि जब इसका टीका भारत सहित दुनिया के दूसरे मुकों में लगाया जाना शुरू होगा, तब तक यह कुछ और रूप धारण ले। हालांकि चिकित्सा विज्ञानी आश्चर्य करते हैं कि टीकों का निर्माण इन उत्परिवर्तनों का अंदाजा लगाकर और विषाणु के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के हिसाब से किया जाता है। लेकिन बॉर्मिंगम विश्वविद्यालय के प्रो. एलन मैकनली का कहना है कि बदलाव से जो नया विषाणु हमारे सामने आता है, उसकी सच्चाई यह है कि हम उसके बारे में जैविक रूप से कुछ नहीं जानते हैं इसलिए उसके असर के बारे में अंदाजा लगा पाना और यह कहना कि टीका उसका इलाज है या वह कोरोना की शुरुआती किस्म जितना ही खतरनाक है, ठीक नहीं होगा। जाहिर है, इससे टीकाकरण की

सारी मुश्किलें पर नया दबाव बनेगा, क्योंकि अगर विषाणु फिर कोई रूप धारण लेता है तो इससे टीके में भी बदलाव करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन विषाणु का उत्परिवर्तन, पुराने विषाणुओं का फिर से सिर उठाना और नए अज्ञात विषाणुओं का अचानक हमला बोल देना- एक ऐसी पहली है जो हाल के दो-तीन दशकों में पूरे चिकित्सा जगत के लिए रहस्यमय ढंग से सामने आई है।

सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह महज संयोग है कि जैसे-जैसे हमारा चिकित्सा तंत्र हर मर्ज के सटीक इलाज के दावे की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे नए-नए विषाणुओं की फौज आक्रामक ढंग से हमले करने लगी है। या फिर यह प्रकृति का कोई प्रकोप है जो संसाधनों के अधाधुंध दोहन के कारण बचाव के लिए इंसानों के खिलाफ अपने पैतरे दिखा रहा है। या कहीं इसके पीछे उन छुके-छिपे विषाणुओं की कोई कहानी तो नहीं है जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई, लेकिन जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ने के कारण उन विषाणुओं की उत्पत्ति की यह खुल गई है। दरअसल, कुछ ऐसे खुलासे

हो रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि बर्फनी हिमनदों में जाने-अनजाने विषाणुओं के पूरे खानदान मौजूद हैं। इनमें से एक मामला पश्चिमी तिब्बत पठार में मौजूद हिमनद का है और पूरी दुनिया में हजारों साल पहले की महामारियों को वापस ला सकते हैं। ये विषाणु पृथ्वी से बाहर के हो सकते हैं और उल्का पिंडों के जरिए यहां पहुंचें होंगे। इसी तरह की एक घटना अलास्का के उडे इलाक-टुंड्रा से संबंधित है। वहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के जल दफनाए गए थे। विज्ञानियों ने इन शवों की जांच की तो पता चला है कि 1918 के भीषण स्पेनिश फ्लू के अवशेष थे। साइबेरिया की बर्फ में दफन शवों में बुबॉनिक प्लेग व चेचक के अवशेष मिले। बर्फनी सतहों में प्राचीन समय के विषाणुओं के दबे होने की भी आशंकाएं काफी ज्यादा हैं।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के विज्ञानियों ने कुछ समय पहले अलास्का की बर्फ को खगाला तो वहां वृत्तीय मैथम के दौर का जीवाणु मिला, जो साबित करता है कि अचानक उभर आने की स्थितियों से कभी भी कोई भी अनजान विषाणु अचानक प्रकट हो सकता है और मानव सभ्यता को संकट में डाल सकता है। विषाणुओं-जीवाणुओं से इंसान की जंग को अब दवाओं और टीकों जैसे हथियार मिल गए हैं, लेकिन लापरवाहियों की लंबी फेहरिस्त, संकट की अनदेखी, उत्परिवर्तन और अनजाने विषाणुओं के अचानक उभर आने की स्थितियों में सारे प्रबंध धरे रह जाते हैं, इस हकीकत को कोरोना के किस्से ने साबित कर दिया है।

यह भी धार लापरवाही है कि पर्यावरणविद् जलवायु संकट जैसी समस्याओं को लेकर सचेत कर रहे हैं, लेकिन उस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में यदि हिमनदों की बर्फ तेजी से पिघली और छुके-छिपे विषाणुओं ने पूरी ताकत से हमला बोल देना तो कहना मुश्किल है कि पृथ्वी पर इंसानी आबादी को सुरक्षित बचा लिया जाएगा।

## दिव्य

सरकार अगर यह समझ रही है कि वह बातों में उलझाकर बच जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। किसान तभी घर जाएंगे जब सरकार कानून वापस लेगी।

**राजेश टिकैत, किसान नेता**


किसान हित में 40 संगठनों के अलावा अन्य राज्यों के किसान संगठनों से भी सरकार खुले मन से बातचीत जारी रखकर समाधान निकालने का प्रयास जारी रखेगी।

**नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री**



## सत्यार्थ

आधुनिक प्रवेश में बम्मेर पोतना एक संत थे। एक दिन वे अप्ठम स्कंध का गजेंद्र मोक्ष प्रसंग लिख रहे थे, तभी उनका साला श्रीनाथ आया और पढ़ने लगा-मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ा और वह उसे गिगलने लगा। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए व उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। पुकार सुन भगवान तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन जल्दी में सुदर्शन चक्र लेने का ध्यान न रहा। वह इतना पढ़ कर रुक गया और अपने बहनोई का मजाक उड़ाते हुए बोल पड़ा-आपने कैसे लिखा कि भगवान को



सुदर्शन चक्र लेने का ध्यान न रहा। वे क्या लड़ाई देखने जा रहे थे? यदि सुदर्शन चक्र साथ में न ले जाते, तो गजेंद्र की मुक्ति कैसे होती? कोई काव्य लिखने से पहले उसे अनुभव की कसौटी पर परखना जरूरी होता है। पोतना उस वक्त तो चुप रहे, पर दूसरे दिन उन्होंने श्रीनाथ के लड़के को दूर खलने भेज दिया और पास के एक कुएं में एक बड़ा पत्थर डाल कर चिल्लाते लगे- श्रीनाथ! दौड़ो, तुम्हारा बच्चा कुएं में गिर गया है। श्रीनाथ ने सुना, तो वह बिना कुछ सोचे कुएं में कूदने लगा। यह देख पोतना

ने उसे पकड़ लिया और बोले- मूर्ख हो क्या, जो बिना कुछ सोचे कुएं में कूद रहे हो? बच्चे को निकालोगे कैसे? रस्सी-बाल्टी तो साथ में लाए नहीं। श्रीनाथ जब सोचने लगा, तो पोतना बोले- बच्चा ओ नहीं, तुम्हारा बच्चा गिरा नहीं है। मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता था कि जिसके प्रति प्रेम ज्यादा हो, उस पर संकट आने पर मनुष्य की क्या दशा होती है। जिस प्रकार पुत्र-प्रेम में तुम्हें रस्सी-बाल्टी लेने का ध्यान न रहा, उसी प्रकार भगवान भी सुदर्शन चक्र लेना भूल गए। तब श्रीनाथ ने जाना कि प्रियजनों के कष्ट की बात सुन मनुष्य तो क्या, भगवान भी सुध-बुध को बेटते हैं।

न्यूज

पुडुचेरी में आज से फिर खुलेंगे सभी कॉलेज

पुडुचेरी, (एजेंसी)। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में लोकडाउन के कारण बंद सभी कॉलेजों को नौ महीने के अंतराल के बाद बुधवार से फिर खोला जाएगा। प्रदेश में हालांकि, 17 दिसंबर को कॉलेज खोले गए थे, लेकिन केवल स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित की गई थीं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के निदेशक यासलक्ष्मी नारायण रेड्डी ने मंगलवार को सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को एक परिपत्र में कहा कि वे मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते सभी छात्रों के लिए कॉलेजों को फिर से खोलें। सभी कॉलेजों को सैनटाइजर प्रदान करना चाहिए और थर्मल स्कैनर स्थापित करना चाहिए। साथ ही छात्रों के शारीरिक तापमान की जांच के बाद ही कॉलेज के भीतर आने की अनुमति देनी चाहिए। एक कक्षा में यदि 60 से अधिक छात्र हों तो उन्हें दो समूहों में विभाजित किया जाएगा और एक सप्ताह में छह दिन कक्षाएं ली जाएंगी। यह तय होना चाहिए कि छात्र कॉलेज परिसर एवं कक्षाओं में सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क भी पहनें।

भागवत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन

जालंधर, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर उस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अयूब खान दुग्गल के खिलाफ संघ के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने दुग्गल के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर कड़ा रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक महीने गुजर जाने पर भी दोषी के खिलाफ प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तबे समय से जानबूझकर संघ के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर अभद्र टिप्पणियां कर राज्य के माहिलों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। संघ कार्यकर्ताओं ने पंजाब के राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र जिला उपায়ुक्त को सौंपकर मांग की है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कार्यकर्ता अपना आंदोलन तेज करेंगे।

राहुल गांधी का सरकार से जिद छोड़ने का आग्रह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आंदोलन कर रहे 60 से ज्यादा किसान अब तक तोड़ चुके हैं इसलिए सरकार को अपनी जिद छोड़ कर कृषि विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्र पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की बजाय से मोदी सरकार किसानों की मांग नहीं मानने की जिद पर अड़ गई है और आंदोलनकारी किसानों के साथ निरंतर अन्याय कर रही है। श्री गांधी ने टवीट किया 'मोदी सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैया और अड़थाल रुख के कारण अब तक 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार उनके आसु पोछने की बजाय उन पर आसु गैस से हलक कर रही है। यह निर्दयता सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति मित्रों का कारोबार बढ़ाने के लिए की जा रही है। मोदी सरकार जिद छोड़ें और किसान विरोधी कानूनों को खत्म करें।

मुर्शिदाबाद में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत

मुर्शिदाबाद, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को सामान से लदे एक ट्रक ने एक पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हादसा एनएच 34 पर मंगलवार को सुबह 7:30 बजे हुआ जब नादिया जिले के राणाघाट से एक पिकअप वाहन को लेकर हजारदुआरी जा रही पिकअप वैन को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन में सवार सभी 14-15 लोग वाहन से बाहर गिर गए। उनमें से चार की मौत पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है।



**सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव है। कोरोना को धोना है।**

मानव तस्करी रोकने के लिए गृह मंत्रालय और राज्यों में नहीं है तालमेल कैसे गठित होगी 800 एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट ?

नई दिल्ली ■ एजेंसी

मानव तस्करी के मामले रोकने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। गृह मंत्रालय ने अब देश के सभी 800 पुलिस जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट एएचटीयू गठित करने के निर्देश दिए हैं। साल 2007 में पहली एएचटीयू गठित होने के बाद अब फाइलों में इनकी संख्या 330 है। अधिकांश यूनिटों में ट्रेड स्टाफ नहीं है। मंत्रालय के अफसरों की दलील है कि मानव तस्करी रोकने के लिए जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है।

केंद्र ने एक दशक में राज्यों को 25.16 करोड़ दिए हैं, जबकि 2019 में निर्भया फंड के तहत अतिरिक्त सौ करोड़ रुपए जारी किए थे। राज्यों से कहा गया था कि सभी पुलिस जिलों में यानी 800 एएचटीयू स्थापित की जाएं। इसके अलावा राज्य, जिला और थाना स्तर पर भी एएचटीयू

इस दिशा में गंभीरता से बढ़ना पड़ेगा आगे

मानव तस्करी को रोकना, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट का गठन और इसके अन्य विभिन्न आयामों पर अध्ययन कर चुके पूर्व आईपीएस डॉ. पीएम नायर के अनुसार, कोरोना संक्रमण के दौरान भी मानव तस्करी को अंजाम देने वाले गैंग सक्रिय रहे हैं। बाल यौन शोषण सामग्री परोसने वाली वेबसाइट्स की संख्या बढ़ना, इसे मानव तस्करी के नए रूपों के तौर पर देखा जा रहा है। मानव तस्करी का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार और बाल श्रम रहा है, लेकिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मतलब साफ है कि केवल यूनिट गठन से काम नहीं चलेगा। इन यूनिटों को काम भी करना होगा। इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होगी। इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ना पड़ेगा।



पर काम शुरू हो। सभी राज्य सक्रियता से तीनों स्तरों पर एएचटीयू स्थापित करते हैं, तो देश में इनकी संख्या 16955 हो जाएगी। हेरानी की बात है कि अभी तक ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में काम प्रारंभ ही नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है।

जुलाई 2019 में भी राज्यों को किया गया था संवत : केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि जुलाई 2019 में भी राज्यों को इस बारे में संवत किया गया था। राज्यों से कहा गया कि वे मानव तस्करी रोकने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। उसके बाद हालात यह रही कि किसी राज्य ने कुछ यूनिटें गठित कर दीं तो किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के डिप्टी सिक्रेटरी अरुण सोबती ने उसके बाद कई बार राज्यों को याद दिलाया। अधिकांश राज्य तो ऐसे हैं, जो मंत्रालय के पत्र का जवाब ही नहीं देते। कुछ राज्यों की तरफ से लिखा आता है कि फलां जिलों में यूनिट गठित कर दी गई है। जब पता किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि बहुत कुछ फाइलों से बाहर ही नहीं निकल सका है। पिछले माह भी सोबती की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र भेजा गया है।

पिछले माह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र: इसमें बताया गया है कि राज्य किस तरह से मानव तस्करी के मामलों को रोक सकते हैं। निचले स्तर पर कैसे काम करें, आदि बातों का जिक्र किया गया है। विविध सेंट्रिक अप्रोच और संगठित गैंग को किस तरह खत्म करना है, ये जानकारी भी दी गई है। सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई गई है। इसकी मदद से सभी पुलिस

थानों में एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट गठित की जाए। देश के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी देखने को मिले मामले : महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली और उड़ीसा से देश के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी मानव तस्करी के मामले देखने को मिले हैं। इसके लिए बॉर्डर पर बीएसएफ और एएसएबी को भी एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट गठित करने को कहा है। वकीलों के अलावा मनोवैज्ञानिकों और सिविल सोसायटी के लोगों की टीम को ऐसे मामलों की जांच में शामिल करने की बात कही गई है। देश में मानव तस्करी से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता से काम हो सके, इसके लिए मंत्रालय ने राज्यों से तीन स्तरीय इकाई गठित करने के लिए कहा है। राज्य स्तर पर एंटीजी रेक के अफसर मानव तस्करी के मामलों की जांच पर नजर रखेंगे। जिला स्तर पर एएसपी या डीएसपी इन मामलों को देखेंगे। सभी राज्यों से कहा गया है कि वे इस आदेश को अधिसूचित कर गृह मंत्रालय को सूचित करें। मंत्रालय ने आईबी और सीबीआई की उन रिपोर्टों का हवाल भी दिया है, जिसमें मानव तस्करी के नए रूपों का जिक्र किया गया है। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि हर गांव में पंचायत नए लोगों पर नजर रखे। गांव में कौन कहां से आया है, इसकी जानकारी एजेंसियों को मिलनी चाहिए।

मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के मामले में रिलायंस की याचिका पर सुनवाई

हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब



चंडीगढ़ ■ एजेंसी

पंजाब और हरियाणा में मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के खिलाफ रिलायंस की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब कर लिया है। रिलायंस जियो ने अपनी याचिका में कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में घट रही घटनाओं को लेकर रिलायंस के अधीन आने वाली जियो इन्फोकॉम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची थी। कंपनी की तरफ से सोमवार को दाखिल याचिका में मांग की गई है कि शासन से इस मामले में हस्तक्षेप करवा कर गैरकानूनी घटनाओं पर रोक लगवाई जाए।

अभियान का सत्य से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं

कंपनी ने कहा है कि उसके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका सत्य से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। जिन तीन कृषि कानूनों पर बहस चल रही है, उनसे रिलायंस का कोई लेना-देना नहीं है। इनसे कंपनी को किसी भी तरह से लाभ भी नहीं पहुंचता है। कृषि कानूनों से रिलायंस का नाम जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना है। कंपनी ने तो कॉरपोरेट या कॉर्पोरेट फार्मिंग करती है और न ही करवाती है। भविष्य में ऐसा करने की कोई योजना नहीं है।

असामाजिक तत्वों ने 1600 से अधिक टावरों को किया तबाह

यानी ने कहा कि इसके बावजूद उसके विरोधियों और असामाजिक तत्वों ने पंजाब भर में 1600 से अधिक मोबाइल टावरों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी सहायक कंपनियों के व्यापार में व्यवधान पैदा किया जा रहा है, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील भी की गई है।

पाक सुप्रीम कोर्ट का खेबर पखूनखा सरकार को आदेश

दो सप्ताह में फिर बनाएं मंदिर, ढहाने वालों से करें वसूली

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने मंगलवार को खेबर पखूनखा की प्रांतीय सरकार को आदेश दिया कि वह करक जिले के तेरी गांव में कृष्ण द्वार मंदिर के साथ श्री परमहंस जी महाराज की समाधि का दो सप्ताह में पुनर्निर्माण करें। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को ही इसके पुनर्निर्माण में पैसा देना होगा। दरअसल, बीते 30 दिसंबर को धर्मस्थल पर विस्तार कार्य का विरोध करते हुए कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के सदस्यों की अगुवाई में एक भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी। वहां पर एक हिंदू धार्मिक नेता श्री परमहंस जी महाराज की समाधि भी थी। इसके बाद हुई एफआईआर में 350 से ज्यादा लोग नामजद हैं।

युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ ईयरफोन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ग्रेटर नोएडा के जेवर में रहने वाले गौतम नाम के शख्स की आकाशगीय बिजली गिरने से मौत हो गई। उसकी मौत बिजली गिरने पर कान में लगे ईयरफोन के फटने से हुई। हमसा जे. डेलीमेल की रिपोर्ट के अनुसार, मृतका का नाम सोनिया एसेवेदो है। वैक्सिन लगाने के 48 घंटे बाद नए साल के दिन उनकी घर पर अचानक मौत हो गई। पोर्तुगीज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के पोर्टों में पीडियाट्रिक्स विभाग में काम करने वाली दो बच्चों की मां में वैक्सिन लगने के बाद किसी तरह के दुष्परिणाम दिखाई नहीं दिए। एसेवेदो के पिता अबिलियो एसेवेदो ने पुर्तगाली दैनिक कोररियो ड़ा मनाहा से कहा, वह टीक थी। उसे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि

पुर्तगाल में वैक्सिन लगाने के दो दिन बाद स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत

पिता ने मांगा जवाब


लिस्बन, (एजेंसी)। कोरोना वायरस को मात देने के लिए बनी फाइजर की वैक्सिन लगाने के बाद एक महिला की मौत हो गई है। 41 साल की महिला पेशे से स्वास्थ्य कर्मचारी थी। डेलीमेल की रिपोर्ट के अनुसार, मृतका का नाम सोनिया एसेवेदो है। वैक्सिन लगाने के 48 घंटे बाद नए साल के दिन उनकी घर पर अचानक मौत हो गई। पोर्तुगीज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के पोर्टों में पीडियाट्रिक्स विभाग में काम करने वाली दो बच्चों की मां में वैक्सिन लगने के बाद किसी तरह के दुष्परिणाम दिखाई नहीं दिए। एसेवेदो के पिता अबिलियो एसेवेदो ने पुर्तगाली दैनिक कोररियो ड़ा मनाहा से कहा, वह टीक थी। उसे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि

परिचालन सहायक की अचानक मृत्यु के संबंध में, निदेशक मंडल ने इस घटना की पुष्टि की और परिवार और दोस्तों को हुए नुकसान के प्रति संवेदना व्यक्त की। इन परिस्थितियों में मौत के कारण की व्याख्या के लिए सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। वैक्सिन लगवाने के बाद सोनिया ने फेसबुक पर फोटो पोस्ट कर लिखा था कि कोविड-19 का टीकाकरण हो गया। सोनिया के पिता ने बताया कि एक जनवरी को सुबह 11 बजे उन्हें कॉल करके बताया गया कि उनकी बेटी मृत पाई गई है। उन्होंने बताया कि नए साल के मौक पर उन्होंने सुबह का नाश्ता साथ में किया था। पिता ने कहा कि मेरी बेटी घर से निकली थी और मैंने उसे फिर कभी जीवित नहीं देखा। सोनिया उनसे 538 पोर्टों आईपीओ कर्मचारियों में शामिल थीं, जिन्हें फाइजर की कोरोना वैक्सिन लगाई गई है।

‘कागज’ को लेकर पंकज ने गोहिल ने कांग्रेस आलाकमान से की गुजारिश

‘कागज’ को लेकर पंकज ने की अपने लुक की चर्चा

मुंबई (आरएनएन)। पंकज त्रिपाठी ने शेयर किया कि फिल्म कागज में 18 साल के समय में उनके लुक में किस तरह का परिवर्तन दिखा। जी5 की आगामी फिल्म कागज को निर्माताओं द्वारा फिल्म के ट्रेलर को जारी किए जाने के बाद से कई शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कागज एक सच्ची कहानी से प्रेरित है और पंकज त्रिपाठी ने लाल बिहारी के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार को यह साबित करना है कि वह जीवित है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने उसकी संपत्ति हासिल करने के लिए उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है। फिल्म में लगभग 18 साल का समय दिखाया गया है और पंकज त्रिपाठी ने अपने लुक के बारे में बात करते हुए साझा किया कि फिल्म में उनके लुक ने किस तरह का बदलाव प्राप्त किया है। पंकज ने कहा कि यह मेरे लुक में बहुत ही सहज और सूक्ष्म बदलाव था। जब तक आप मेरे अंतिम दृश्य की तुलना पहले दृश्य के साथ नहीं करेंगे, तब तक आप मेरे रूप में परिवर्तन को नहीं पहचान सकेंगे। ‘कागज’ का निर्माण सलमान खान फिल्मस और सतीश कौशिक प्रोडक्शंस द्वारा किया गया है, फिल्म सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित है और पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में मोनल गज्जर और अमर उपाध्याय के साथ दिखेंगे। फिल्म 7 जनवरी 2021 को जी5 पर रिलीज होगी।



पटना, (एजेंसी)। बिहार कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल संगठन में फिलहाल कोई छोटा रोल चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। इसके लिए गोहिल ने कांग्रेस आलाकमान से संदेश भी भेज दिया है और गुजारिश की है कि उन्हें बिहार कांग्रेस प्रभारी के पद से मुक्त किया जाए और संगठन में लाइट जिम्मेदारी दी जाए। बता दें कि जब बिहार में कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो शक्ति सिंह गोहिल ही पार्टी के प्रभारी थे। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। कांग्रेस के गलियारों में ये भी खबर आई कि शक्ति सिंह गोहिल से प्रभारी का पद लिया भी जा सकता है। इस बीच गोहिल ने खुद इस पद को छोड़ने की पेशकश कर दी है। बिहार चुनाव के दौरान गोहिल कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे।

रियायत ■ एजेंसी

सऊदी अरब जैसे इस्लामी देश में महिलाओं के लिए बहुत ही सख्त कानून बने हैं, लेकिन अब इन कानूनों में सऊदी अरब सरकार ने थोड़ी ढील करने का फैसला किया है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब महिलाओं को अधिकार मिल गया है कि वे बिना अपने अभिभावक की स्वीकृति के भी अपने नाम में बदलाव कर सकेंगी। अब इस काम के लिए उन्हें घरवालों की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब में यह अधिकार केवल अभी तक पुरुषों के पास था कि वे अपने नाम या खुद से जुड़े डाटा में बिना अभिभावकों की स्वीकृति के बदलाव कर सकते थे, लेकिन अब ये अधिकार महिलाओं को भी मिल गया है। इस बात की जानकारी सऊदी अरब के गृह



हो चुके हैं पहले भी कुछ अहम बदलाव

सऊदी अरब में इससे पहले भी देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं। जिसमें साल 2018 में सबसे पहले देश की महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी गई थी। साथ ही बिना पुरुष के महिलाओं को अकेले घूमने की भी स्वतंत्रता

हासिल हुई। साल 2018 से पहले महिलाओं को अकेले कहीं भी घूमने-फिरने की इजाजत नहीं थी। यहीं नहीं इस देश में महिलाओं को अब खुद से पासपोर्ट के लिए आवेदन की अनुमति भी मिल चुकी है, जो कि पहले मना थी। विजन 2030 के अंतर्गत किए जा रहे हैं बदलाव

सऊदी अरब में हो रहे इन बदलावों को वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के अंतर्गत किया जा रहा है। देश में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपनी सख्त छवि को सुधारने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल, सऊदी अरब अब तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने और ऑयल इकोनॉमी का टैग हटाने के लिए ऐसा कर रहा है।

# कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को किसानों की आवाज़ सुनने और समस्या के निपटारे के लिए खेती कानून रद्द करने की अपील

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि किसानों को माँगों में कुछ भी गलत नहीं है इसलिए समस्या से निपटने हेतु खेती कानूनों को तुरंत ही रद्द कर देना चाहिए।

मीडिया के एक हिस्से में प्रसारित हो रही रिपोर्टों कि पंजाब द्वारा नये खेती कानून पहले ही लागू कर दिए गए हैं, को बेहद गैर-जिम्मेदाराना कहकर रद्द करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य मंत्रों भारत भूषण आशु के बयान को एक अखबार द्वारा गलत तरीके से और ही रंगत दे दी गई जिसको अग्यों ने छाप दिया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब के केंद्रीय खेती कानूनों का विरोध करने वाला पहला राज्य था और यहाँ तक कि राज्य द्वारा संशोधन बिल भी पास किये गए जिससे इन बिलों के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का प्रभाव खत्म किया जा सके।



पंजाब द्वारा केंद्रीय कानून पहले ही लागू किये जाने के मीडिया बयानों को गैर-जिम्मेदाराना और शरारती बताया

उन्होंने इस मुद्दे सम्बन्धी धामक प्रचार किये जाने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को भी आड़े हाथों लिया।

उन्होंने आगे कहा, "राज्यपाल को हमारे बिल राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजने चाहिए थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।"

मुख्यमंत्री ने एक मीडिया इंटरव्यू

के दौरान यह साफ किया कि पंजाब की तरफ से नये कानूनों द्वारा अपने किसानों की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दिया जायेगा।

उन्होंने कहा, "किसानों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए हम जो भी संभव हुआ करेंगे और सरकार ने किसानों के लिए दो हैल्पलाइन्स भी शुरू की हैं जिन पर

वह किसी भी संकट के समय संपर्क कर सकते हैं।"

प्रधानमंत्री को ये कृषि कानून वापस लेने और किसानों के साथ बातचीत करने की अपील करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा, "किसानों ने अपना रुख बिस्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कानून रद्द किये जाने चाहिए। यह भारत

सरकार का काम है कि वह किसानों की आवाज़ सुने।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के साथ बाकायदा बातचीत और सलाह परामर्श के बाद नये कानून लाए जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि संविधान में कई बार संशोधन किया जा चुका है और हाल ही में लागू किये गए खेती कानूनों को रद्द करने के लिए यह संशोधन फिर किया जा सकता है।

इस पक्ष पर ध्यान देते हुए कि देश भर के किसानों ने खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लिया है, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि 6-7 मीटिंगों के बाद अब समय आ गया है कि किसानों के साथ यह मसला सुलझा लिया जाये जिससे उंड और बारिश के मौसम का सामना कर रहे किसान वापस जाकर अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियाँ निभा सकें।

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को नक्सली और दहशतवादी कहने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसा करना बिस्कुल गलत और गैर-जिम्मेदार व्यवहार है।



# पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर पहली बार दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बनी न्यूजीलैंड

■ दुबई/ब्यूरो

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बुधवार को फ्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच पारी और 176 रन से जीतकर पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। कप्तान केन विलियमसन के दोहरे शतक की मदद से श्रृंखला में आसान जीत दर्ज करने से न्यूजीलैंड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड पिछले 10 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक रैंकिंग पर पहुंचने वाली छठी टीम है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ट्वीट किया, "दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी जीत से न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गया।"

न्यूजीलैंड नंबर एक बनने वाली कुल सातवीं टीम है। उसकी टीम पिछले दो वर्षों से शीर्ष पर काबिज रहे हैं। इंग्लैंड (106) और दक्षिण अफ्रीका (96) शीर्ष पांच में शामिल अन्य टीमों हैं। विलियमसन ने बल्लेबाजी रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान मजबूत किया है। उन्होंने हाल में भारतीय कप्तान विराट कोहली और आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ



को पीछे छोड़कर नंबर एक स्थान हासिल किया था। न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप टालिका में भी शीर्ष दो स्थानों पर पहुंचने के साथ ही है। वह 70 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

वह नेट सत्रों में वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। उसके सात-आठ सत्र अच्छे रहे। वह मेलबर्न आये और हमारे मैच के खत्म होने के साथ ही अपना अभ्यास शुरू कर दिया।" रहाणे ने संकेत दिया कि सिडनी की पिच

# मुख्यमंत्री द्वारा पटियाला, बटिंडा, फाजिल्का और मोगा के 2816 झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए हरी झंडी

समूह जिलों में बसेरा स्कीम के अंतर्गत 1 लाख झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को लाभ पहुंचेगा

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

मुख्यमंत्री झुग्गी-झोंपड़ी विकास प्रोग्राम बसेरा के अंतर्गत पटियाला, बटिंडा और फाजिल्का के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को मालिकाना हक दिए जाएंगे। मोगा में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों को उनके मालिकाना हक मोगाजीत सिंह ने अलग तौर पर म्यूंसिपल सीमा के अंदर आती जमीनों में तबदील कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय वचुंअल मीटिंग के दौरान इन फैसलों को मंजूरी दी जिससे 10 झुग्गी-झोंपड़ियां- एम.सी. पटियाला के 364, एम.सी. बटिंडा के 200, एम.सी. अबोहर (फाजिल्का) के

2000 और एम.सी. मोगा के 252 (मोगा की तीन झुग्गी-झोंपड़ियों के निवासियों को तबदील किया जायेगा), के 2816 व्यक्तियों/इकायों को लाभ पहुंचेगा। इससे राज्य के समूह जिलों में 1 लाख से अधिक झुग्गी-झोंपड़ी वालों को ऐसे मालिकाना हक मिलेंगे।

बसेरा स्कीम जो कि पंजाब प्रोपर्टी रीट्रिब्यूट टू स्लम डिवेलपमेंट एक्ट, 2020 समेत सम्बन्धित नियमों के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार की तरफ से एकीकृत शहरी विकास और योजनाबंदी की दिशा में एक बड़ा कदम है। बसेरा, जिसको कि राज्य की कैबिनेट की तरफ से पहले मंजूरी दी जा चुकी है, शहरों की

झुग्गी-झोंपड़ियों को शहर के बाकी हिस्से के साथ मौजूदा समूची शहरी योजनाबंदी की मदद से विलय की नींव रखेगी और यह प्रक्रिया राज्य के सभी जिलों में पूरी की जायेगी।

पंजाब स्लम डिवेलपमेंट एक्ट, 2020 की नोटिफिकेशन की तारीख भाव 1 अप्रैल, 2020 को किसी भी शहरी क्षेत्र के झुग्गी-झोंपड़ी वाले हिस्से के बीच की जमीन वाले घर इस स्कीम के लिए पात्र होंगे। परन्तु, लाभार्थियों को तबदील की जमीन 30 वर्षों तक किसी दूसरे के नाम करने की इजाजत नहीं होगी। मौजूदा समय के दौरान शहरी स्थानीय सरकारों में तकरीबन 243 झुग्गी-

झोंपड़ियाँ हैं जिनमें 1 लाख निवासी रह रहे हैं। अन्य जिलों जैसे कि पटियाला, बटिंडा, फाजिल्का और मोगा में मौजूदा समय के दौरान झुग्गी-झोंपड़ी वाले घरों के सर्वेक्षण के साथ-साथ ही झुग्गी-झोंपड़ियों की पहचान और इनकी हदों की रूप-रेखा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के कब्जे अधीन जमीन के सुरक्षित होने सम्बन्धी अध्ययन भी किया जा रहा है। दी गई मंजूरी के अनुसार एम.सी. पटियाला में 156 लाभार्थियों को रोहतकट्ट (लकड़ी मंडी) के बीच वाले 1,052 हेक्टेयर (अंडररूनी सड़कों सहित) झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र में मालिकाना हक मिलेंगे

जबकि 180 लाभार्थियों को रो रोहा कालोनी (1.591 हेक्टेयर) और 28 लाभार्थियों को दीन दयाल उपाध्याय नगर (0.6962 हेक्टेयर) में मालिकाना हक हासिल होंगे। एम.सी. बटिंडा में उड़ीया कालोनी (6.25 एकड़) के 200 लाभार्थियों, एम.सी. अबोहर में इंडा कालोनी (25.86 एकड़) के 1500 और संत नगर (7.02 एकड़) के 500 लाभार्थियों को मालिकाना हक दिए जाएंगे। एम.सी. मोगा के लाभार्थी जिनको मोगाजीत सिंह ने तबदील किया जा रहा है, की संख्या 130 (निहारी बस्ती और सूरज नगर उत्तर), 104 (नयी दाना मंडी) और 18 (प्रीत नगर नजदीक कोटकपुर बायपास) है।

# होशियारपुर में जल्द ही वुड पार्क तैयार किया जायेगा- सुंदर शाम अरोड़ा

पंजाब में पिछले चार सालों के दौरान 71,000 करोड़ रुपए का हुआ निवेश, 2.7 लाख नौकरियों के मिले मौके

■ चंडीगढ़/होशियारपुर/ब्यूरो

पंजाब सरकार प्लाईवुड उत्पादन की 30 इकाइयों की शुरुआत के साथ जल्द ही होशियारपुर में वुड पार्क स्थापित करेगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन निर्धारित कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के साथ 10000 प्रत्यक्ष और 8000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पंजाब सरकार के ठोस यत्नों स्वरूप राज्य में पिछले चार सालों के दौरान 71,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इसके साथ ही इन औद्योगिक प्रोजेक्ट अधीन 2.7 लाख रोजगार के मौके यकीनी बनाए गए। उद्योग मंत्री ने बताया कि वुड पार्क स्थापित करने के लिए



जरूरी स्वकृतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं और पार्क को होशियारपुर के साथ लगते 58 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जायेगा। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर स्वास्थ्य संकट के बावजूद साल 2020 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 10,461 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इनमें कृषि, फूड-प्रोसेसिंग, रासायनिक, ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, लाईट इंजीनियरिंग सहित अलग-अलग सैक्टरों के बड़े प्रोजेक्ट शामिल

हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के 'कारोबार में आसानी' लाने के दृष्टिकोण अधीन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने अपनी राज्य सुधार कार्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दिए 45 सुधारों को 100 प्रतिशत यकीनी बनाया है।

इसके अलावा जिला सुधार कार्य योजना अधीन 301 में से 285 सुधार लागू किये गए हैं जबकि बाकी 31 मार्च, 2021 से पहला लागू किये जाएंगे। श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया

कि पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन को 20 राज्यों की उत्तम प्रदर्शन करने वाली निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों में से एक होने का दर्जा मिला, राज्य सरकार की तरफ से राज्य के सर्वश्रेष्ठ विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किये अथक यत्नों का नतीजा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की कुछ अन्य बड़े प्रयासों बारे जानकारी देते हुए श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने कहा कि औद्योगिक और व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) की शुरुआत के बाद राज्य की तरफ से उद्योगों को जीएआई की पुनः अदायगी, बिजली ड्यूटी, स्टैप ड्यूटी, प्रोपर्टी टैक्स में छूट, रोजगार सुजन में सब्सिडी और पूँजीगत सब्सिडी (आई.टी. ईकाइयों के लिए) जैसी आकर्षक छूटों के अलावा खाद सैक्टर के लिए मार्केट फीस से छूट भी दी गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि आईबीडीपी 2017 अधीन 5844 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली बड़ी और एमएएसएमई औद्योगिक इकाइयों की अलग अलग श्रेणियों को 1090 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए। अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए लगभग 13 औद्योगिक इकाइयों को एफआईआईपी (आर)-2013 से आईबीडीपी-2017 में माईग्रेट किया गया जिनमें से 11 युनिटों को अलग अलग श्रेणियों में 452 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए। एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में राज्य सरकार की तरफ से साल 1989, 1992, 1996 और 2003 की पिछली नीतियों के अंतर्गत 168 इकाइयों को 26 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। दूसरी तरफ, 12 औद्योगिक इकाइयों को 478.79 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ लेने के लिए योग्यता सर्टिफिकेट दिए गए।

# नूरमहल पुलिस ने एक व्यक्ति को 32 बोर पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस समेत काबू किया



■ जालंधर बीज/रवि

नूरमहल पुलिस ने पिंड चीमा कला के गेट के नजदीक नाकेबंदी की हुई थी तभी ए.एस.आई प्रेमचंद थाना नूरमहल को गुप्त सूचना मिली की

नाजायज पिस्तौल रखा हुआ है तभी ए.एस.आई प्रेमचंद ने अपनी पुलिस टीम को साथ लेकर सागरपुर बस स्टैंड पर पहुंचकर नाकेबंदी की तभी उन्होंने अपनी तरफ आती हुई एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को रोका पर कार सवार ने मौका देखकर गाड़ी भगानी शुरू की पर पुलिस पार्टी ने उस कार के पीछे अपनी गाड़ी लगा काबू कर सतविंदर सिंह की तलाशी ली तलाशी दौरान गाड़ी में से एक लिफाफे में एक पिस्तौल दो कारतूस बरामद हुए दोषी पर मुकदमा नंबर 2 तिथि 04.01.2021 के अधीन 25/54/59 थाना नूरमहल दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

# डिवीजन नंबर 3 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक व्यक्ति को 120 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया

■ जालंधर बीज/रवि

डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने दमोरीया पुल के पास नाकेबंदी की हुई थी तभी उन्होंने किशनपुरा चौक से आते हुए एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोका जो कि पैदल जा रहा था पुलिस को अपनी तरफ आते देख उसने घबरकर एक लिफाफा सड़क पर फेंक दिया जिसमें 120 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुछताछ के दौरान दोषी ने अपना नाम अमित कुमार पुत्र महावीर सिंह वासी गांव आदपुर थाना बसोली जिला बदायूं उत्तर प्रदेश बताया दोषी के खिलाफ मुकदमा नंबर 02 तिथि 06.01.2021 अधीन 18/61/85 एन.डी.पी.एस एक्ट डिवीजन नंबर 3 दर्ज किया गया।



# विजिलेंस ने दिसंबर महीने के दौरान रिश्त के 6 मामलों में 7 अधिकारी किये काबू

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई जा रही व्यापक मुहिम के अंतर्गत दिसंबर महीने के दौरान 6 अलावा-अलग मामलों में रिश्त लेते हुए 7 दोषी कर्मचारियों को रो हाथों काबू करने में सफलता हासिल की है जिसमें राजस्व विभाग के 3 कर्मचारी शामिल हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के मुख्य डायरेक्टर-कम-डी.जी.पी. बी.के. उप्पल ने कहा कि ब्यूरो ने इस समय के दौरान विजिलेंस अधिकारियों ने यह यकीनी



सरकारी और अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के मुकम्मल खत्म के लिए अपने सहृदय यत्न किये हैं। इसके अंतर्गत विजिलेंस अधिकारियों ने यह यकीनी

बनाया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति राज्य की अलग-अलग अदालतों में न्यायिक सजा से बचकर न निकल सके। उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने पिछले महीने के दौरान अलग-अलग अदालतों में 15 विजिलेंस मामलों के सम्बन्ध में चालान पेश किये हैं। इसी समय के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए महेनजर पाँच विजिलेंस केस दर्ज किये गए। इसके अलावा विजिलेंस जांच के आधार पर छह केस भी दर्ज किये गए हैं।

# पंजाब मंडी बोर्ड ने न पहले बाहर से आई फसल राज्य की मंडियों में बिकने दी और न ही भविष्य में ऐसा होने देगा - लाल सिंह

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व वित्त मंत्री पंजाब स. लाल सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मंडी बोर्ड ने न तो धान के सीजन के दौरान दूसरे राज्यों में से पंजाब आने वाले धान को राज्य की मंडियों में बिकने दिया था और न ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में भविष्य में ऐसा होने देगा। आम आदमी पार्टी के साथ शिरोमणि अकाली दल द्वारा पंजाब सरकार के साथ एकजुट होकर केंद्र के विरुद्ध किसानों के हक में मुहिम चलाने की जगह बार-बार किसानों को गुमराह किये जाने की कोशिशों पर तीखी टिप्पणी करते हुए स. लाल

सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह की सरकार पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़ी रही है और किसी भी सूरत में मोदी सरकार की तरफ से लाए किसान विरोधी काले कानूनों को पंजाब में लागू नहीं होने देगा।

बीते समय के दौरान 72 बार मन की बात और मनमार्गियों करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मुद्दों पर सख्त संज्ञान लेते हुए सरदार लाल सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का फर्ज होता है कि वह लोगों की बात सुने, सिर्फ अपने मन की करना तो तानाशाही की निशानी है।